AHW3-MISC/1/18/2023-XIII-3-Agriculture and Farmers Welfare Department

I/122065/2023

संख्या–I/122065/10(07)2023

प्रेषक,

डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 15 मई, 2023

विषयः– कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) में सब्जी एवं फूलों की खेती की योजना स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–6917/पॉलीहाउस संशोधित/2022–23, दिनांक 31.03.2023 के सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) में सब्जी एवं फूलों की खेती योजना के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) हेतु वर्ष 2023–24 के लिए लक्ष्य एवं प्रस्तावित धनराशि का विवरण

(रू0 करोड़ में)

जनपद का नाम	प्रस्तावित पॉलीहाउसों की संख्या	पॉलीहाउस की अनुमानित लागत (रू0 1425 प्रति वर्गमीटर)	सब्जी एवं पुष्प रोपण सामग्री की अनुमानित लागत (रू0 300 प्रति वर्गमीटर)	कुल लागत (पॉलीहाउस व रोपण सामग्री)	नाबार्ड योजनान्तर्गत राजसहायता (80 प्रतिशत)			कृषकांश (20 प्रतिशत)	अभियुक्ति
					नाबार्ड ऋण (95 प्रतिशत)	राज्यांश (5 प्रतिशत)	कुल योग		
अल्मोड़ा	1454	20.72	4.36	25.08	19.06	1.00	20.07	5.02	पॉलीहाउस स्थापना पर ढुलान (कार्टेज) व्यय पी0डब्लू0डी0 एस0ओ0आर0 2023–24 के आधार पर विकासखण्ड वार निर्धारित दर के अनुसार निकाला जायेगा। तद्नुसार देय होगा।
बागेश्वर	484	6.90	1.45	8.35	6.35	0.33	6.68	1.67	
पिथौरागढ	1455	20.73	4.37	25.10	19.08	1.00	20.08	5.02	
चम्पावत	1066	15.19	3.20	18.39	13.98	0.74	14.71	3.68	
उधमसिंहनगर	1940	27.65	5.82	33.47	25.43	1.34	26.77	6.69	
नैनीताल	1940	27.65	5.82	33.47	25.43	1.34	26.77	6.69	
हरिद्वार	1940	27.65	5.82	33.47	25.43	1.34	26.77	6.69	
देहरादून	1940	27.65	5.82	33.47	25.43	1.34	26.77	6.69	
टिहरी	1454	20.72	4.36	25.08	19.06	1.00	20.07	5.02	
पौड़ी	1454	20.72	4.36	25.08	19.06	1.00	20.07	5.02	
उत्तरकाशी	970	13.82	2.91	16.73	12.72	0.67	13.39	3.35	
चमोली	970	13.82	2.91	16.73	12.72	0.67	13.39	3.35	
रूद्रप्रयाग	581	8.28	1.74	10.02	7.62	0.40	8.02	2.00	
योग	**17648**	**251.48**	**52.94**	**304.43**	**231.37**	**12.18**	**243.54**	**60.89**	

<u>क्लस्टर अवधारणा</u>

क्लस्टर अवधारणा अपनाते हुए चयनित क्लस्टरों में चयनित फसलों की खेती पॉलीहाउस में करने से एक ही स्थान पर विपणन हेतु एक ही फसल का पर्याप्त उत्पादन प्राप्त हो जाता है, जिससे बड़े व्यापारियों को क्लस्टर स्तर पर मोल भाव हेतु आमंत्रित

किया जा सकता है अथवा क्लस्टर के समस्त कृषक/कृषक उत्पादक संगठन/स्वयं सहायता समूह एक ही स्थान पर अपने उत्पाद को एकत्रित कर सीधे बाजार/मण्डियों में पहुँचा सकते हैं, जिससे बिचौलियों से बचा जा सकता है इससे कृषक अपने उत्पादन का सीधे उचित मूल्य प्राप्त कर आय में वृद्धि कर सकते हैं।

- एक समूह में कम से कम 05 कृषक होने अनिवार्य हैं, जिन्हें कम से कम 10 पॉलीहाउसों से लाभान्वित किया जायेगा। प्रति क्लस्टर न्यूनतम 25 या उससे अधिक पॉलीहाउसों की स्थापना की जा सकती है। कृषकों के संबंधियों की भूमि पर पॉलीहाउस स्थापना किये जाने की स्थिति में इसको भी समूह माना जायेगा। पॉलीहाउस स्थापना हेतु महिला समूहों को वरियता प्रदान की जायेगी।

- समूह गठन में एक ही ग्राम पंचायत के आस–पास लगती हुई जोत के कृषक योजना हेतु पात्र होगें। विभाग द्वारा योजना का वृहद प्रचार प्रसार कर ऐसे कृषकों का चयन किया जायेगा, जो पॉलीहाउस में खेती करने एवं एक ही गॉव के अन्तर्गत समूह में पॉलीहाउस स्थापित करने के इच्छुक होंगे। जिनके पास स्वयं की भूमि या पति/पत्नी के नाम की भूमि होगी वे भी पात्र होगें, साथ ही गांव के कृषक अपने संबंधियों एवं पड़ोसियों के साथ भी समूह बनाकर सामूहिक रूप से अपनी भूमि पर आपसी समझौते के आधार पर पॉलीहाउस की स्थापना हेतु पात्र होंगे, परंतु इस हेतु उन्हें रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर समझौता पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- ऐसे समूह एवं किसान, जिनके पास भूमि उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा इच्छानुसार क्लस्टर में कम से कम 10 साल की लीज पर भूमि लेकर पॉलीहाउस की स्थापना की जा सकती है। लीज रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।

- गैर कृषक भी भूमि को रजिस्टर्ड लीज पर लेकर पॉलीहाउस योजना का लाभ ले सकता है।

- मैदानी क्षेत्रों में एक लाभार्थी हेतु 500 वर्गमीटर तक तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 50 वर्गमीटर के भी पॉलीहाउस स्थापित किये जा सकते है।

पॉलीहाउस स्थापना के लक्ष्य

राज्य में आयोजित चिंतन शिविर में हुए विचार–विमर्श के अनुसार जनपदों को संरक्षित खेती से संतृप्त किया जाना है, जिस हेतु प्रथम चरण में नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत कुल 17648 पॉलीहाउसों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।

देय राज सहायता एवं कृषक अंश

नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत पॉलीहाउस स्थापना एवं स्थापना उपरांत केवल प्रथम वर्ष में पुष्प/सब्जी रोपण सामग्री हेतु, लाभार्थी को पॉलीहाउस एवं रोपण सामग्री पर 80 प्रतिशत राज सहायता देय होगा तथा 20 प्रतिशत कृषक/समूह आदि द्वारा वहन किया जायेगा। जिलों के अन्तर्गत लगने वाले पॉलीहाउस पर संबंधित फर्म को ढुलान (कार्टेज) व्यय पी0डब्लू0डी0 एस0ओ0आर0 2023–24 के आधार पर विकासखण्ड वार निर्धारित दर के अनुसार देय होगा।

I/122065/2023

जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति

योजना अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत किया जायेगा।

1. मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
3. सहायक निबन्धक, सहकारिता	सदस्य
4. सम्बन्धित उद्यान सचल दल केन्द्र प्रभारी	सदस्य
5. सम्बन्धित मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य सचिव

लक्षित लाभार्थी

योजनान्तर्गत छोटे एवं मध्यम कृषक, कृषक, महिलाएं, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियां, उद्यान/कृषि/NRLM/ग्राम्य विकास/F P O/R E A P/FPC /JICA/**PACS/PG** में पंजीकृत समूह योजना अंतर्गत आवेदन के पात्र होंगे।

क्लस्टर व लाभार्थी चयन

जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा पॉलीहाउस स्थापना हेतु ऐसे क्लस्टरों का चयन किया जायेगा, जिसमें पॉलीहाउस स्थापना हेतु इच्छुक कृषक समूह/एफ0पी0ओ0/व्यक्तिगत कृषक, सड़क से नजदीकी, सिंचाई जल की उपलब्धता तथा व्यक्तिगत कृषक/ कृषक समूह/किसान उत्पादक संगठन/स्वयं सहायता समूह को बागवानी का अनुभव आदि सम्मिलित होगा।

चयन हेतु परीक्षण के मानक

जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा कृषकों के चयन के समय मुख्य रूप से पॉलीहाउस स्थापना हेतु क्लस्टर के चयन हेतु सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता, कृषकों को बागवानी का अनुभव, फसलों के उत्पादन हेतु सम्बन्धित क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं कृषि जलवायु के अनुसार फसलों का चयन दिये गये विकल्पों (Crop Cycles) में से सब्जियों यथा शिमलामिर्च, टमाटर, चैरी टमाटर, खीरा तथा पुष्पों में गुलाब, जरबेरा, कारनेशन, लिलियम आदि का चयन सम्मिलित करते हुए आवेदनों का परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण के समय सब्जी एवं पुष्प फसलों के चयन के दौरान बाजार के मांग को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

- उत्पादों के विपणन को ध्यान में रखते हुए एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के फसल उत्पाद को वरीयता दी जायेगी, ताकि कलस्टर स्तर पर बाजार को आकर्षित किया जा सके, इस हेतु एक कलस्टर में स्थापित पॉलीहाउसों एवं आस–पास के कलस्टरों में एक ही फसल के उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज की व्यवस्था को सुगमतापूर्वक सुनिश्चित किया जा सके।
- एक क्लस्टर या आस–पास के कई क्लस्टरों के किसानों/समुदाय आधारित किसान संगठनों को बाजार की मांग के अनुरूप फसलों के चयन हेतु किसानों को स्थानीय/जनपद स्तर/राज्य स्तर की नजदीकी मण्डियों का भ्रमण करने हेतु भी प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि किसान संगठन बाजार की मांग के अनुरूप फसलों का

चयन कर सकें, जिससे उन्हें उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

विभाग द्वारा पॉलीहाउस निर्माता संस्था/फर्म का चयन

विभाग द्वारा पॉलीहाउस निर्माता संस्था/फर्म का चयन शासन के अनुमोदन उपरान्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ई0ओ0आई0) के माध्यम से किया जायेगा।

लाभार्थी द्वारा पॉलीहाउस निर्माता फर्म का चयन

पॉलीहाउस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु चयनित लाभार्थी/कृषक को विभाग में पंजीकृत पॉलीहाउस निर्माता फर्मों में से किसी भी फर्म को स्वेच्छा से चयनित कर कार्य कराने की स्वतंत्रता होगी।

जनपदीय मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थी को पंजीकृत फर्मों की दरें उपलब्ध हों और लाभार्थी कृषक को पॉलीहाउस से संबंधित तकनीकी/व्यवहारिक जानकारी सुलभ हों ताकि लाभार्थी कृषक स्वेच्छा से निर्माता फर्म का चयन कर सके और उससे पॉलीहाउस स्थापना की कार्यवाही पूर्ण करा सकें।

राजसहायता का भुगतान

जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की स्वीकृति उपरान्त कृषक पॉलीहाउस निर्माण हेतु विभाग में ई0ओ0आई0 के माध्यम से पंजीकृत किसी भी संस्था/फर्म के माध्यम से स्थापना कराने हेतु स्वतन्त्र होंगे।

- चयन के उपरांत कृषक को अपना अंश (20 प्रतिशत) विभाग में (RTGS/ UPI Transaction G Pay, Phone Pay, Pay TM)/ Net Banking/ Digital Transaction आदि द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। जिस हेतु जिले स्तर पर विभाग द्वारा एक सोसाइटी का गठन किया जायेगा, जिसका एक खाता खोलकर लाभार्थी द्वारा, उस खाते में चयन के उपरांत अपना 20 प्रतिशत अंश द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

- विभाग द्वारा पंजीकृत फर्मो को प्रथम किस्त में कुल लागत के 35 प्रतिशत का भुगतान पॉलीहाउस स्थापना शुरू किये जाने पर (on completion of foundation work and supply of complete cladding material at site including micro irrigation system) एवं द्वितीय किस्त के रूप में कुल लागत का 35 प्रतिशत स्थापना के दौरान (after completion of the erection of steel structure) तथा तृतीय एवं अन्तिम किस्त के रूप में शेष 30 प्रतिशत का भुगतान पॉलीहाउस की पूर्ण स्थापना (completion of protected structure and installation of micro irrigation system) के उपरान्त भौतिक सत्यापन एवं कृषक/समूह के संतुष्टि प्रमाण–पत्र के पश्चात किया जायेगा। राजसहायता का भुगतान कृषक/समूह द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था के बैंक खाते में डी0बी0टी के माध्यम से किया जायेगा। **(संलग्न प्रारूप–1)**

- पॉलीहाउस के क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान की गणना कर तदनुसार राजसहायता का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से नियमानुसार किया जायेगा।

- विभाग द्वारा पंजीकृत फर्मों, जिनके द्वारा कृषक प्रक्षेत्रों पर पॉलीहाउस की स्थापना की जायेगी, को तीन वर्षों हेतु पॉलीहाउस के रख–रखाव एवं मरम्मत करना होगा, जिसके बाद ही उनकी धरोहर धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

- पॉलीहाउस संरचना की तैयार होने के बाद कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित संरचना का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। ऐसा न करने की दशा में राज सहायता की वसूली की जायेगी। कृषक प्रक्षेत्र में पॉलीहाउस की स्थापना से पूर्व कृषक से रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा, जिसमें कृषक द्वारा उल्लेखित किया जायेगा कि विभाग को यह अधिकार होगा कि पॉलीहाउस अथवा राजसहायता का दुरूपयोग करने पर मय चालू बैंक ब्याज सहित प्रदान की गई राज सहायता की वसूली कर सकता है। **(संलग्न प्रारूप–2)**

- स्थापित किये जाने वाले पॉलीहाउस की कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, कार्य होते समय एवं कार्य समाप्ति के उपरांत स्थलीय फोटो एवं Geo-Tagging अनिवार्य रूप से की जायेगी। इस हेतु एक मोबाईल एप्लीकेशन बनाया जायेगा, जिसके माध्यम से ऑनलाईन एप्लीकेशन ली जायेंगी और साथ ही स्थलीय फोटोग्राफ भी अपलोड किया जायेगा। पॉलीहाउस स्थापना उपरांत अंतिम स्थलीय फोटोग्राफ Geo-Tagging और संतोषजनक स्थलीय निरीक्षण एवं कृषक की संतुष्टि आख्या उपरांत राजसहायता का भुगतान कृषक द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

Table 1: Technical Specification for Top vent Naturally Ventilated House (100m ^{2}) including foundation for civil work (As per the estimate of State agriculture marketing board and recommendations of VPKAS, Almora)

Sr. No.	Items	Description/Specifications
1.	Bay Size	Preferably Length=17 to 19.0m and Width= 6 to 5.2.25m The width of the greenhouse should be at least 35% of the desired length.
2.	Central Ridge height	4.2-4.8 m
3.	Vents	The Ridge vent should have 80 - 90cm and the side vent depending upon the requirement and opening should be fixed with 40 mesh UV stabilized nylon insect screen.
4.	Gutter height	2.5m to 3m from the floor area
5.	Column spacing	2.6 to 2.8m
6.	Span	5.25 to 6.0m (Single span with top vent)
7.	Gutter Slope	A slope of 2% needs to be provided in the civil foundation work structure
8.	Gutter Material	The 20-gauge or1 mm thick GI Sheet with a perimeter of 500mm or more preferably of single length without joint.
9.	Structural design	• The structural design needs to be sound enough to withstand wind speeds of a minimum of 150 km/hrs. and minimum load of 25 kg/rn 2. There should be a provision for opening one portion on either side for entry of small tractors/power tillers for intercultural practices. The firm needs to highlight design features and a list of greenhouse clients. • Complete Structure made of G.I. Pipe fitted in zero energy with Nut and bolts (dismantlable). • All pipes should be deep/hot galvanized, corrosion resistant and ISI mark.

I/122065/2023

10.	Main column	60 mm OD, 2mm Thick, IS 3601:2014
11.	Middle column	60 mm OD, 2mm Thick, IS 3601:2014
12.	Foundation stub	48 mm OD, 2mm Thick, IS 3601:2014
13.	Bottom chord	48 mm OD, 2mm Thick, IS 3601:2014
14.	Trusses member & Purlin	48 mm OD, 2mm Thick, IS 3601:2014
15.	Big Arc	42 mm OD, 2 mm thick, IS 3601:2014
16.	Small Arc	42 mm OD, 2 mm thick, IS 3601:2014
17.	Cross Bracing	42 mm OD, 2 mm thick, IS 3601:2014
18.	Cross Bracing	42 mm OD, 2 mm thick, IS 3601:2014
19.	Cross Bracing	42 mm OD, 2 mm thick, IS 3601:2014
20.	Curtain Pipe	21 mm OD, 1 mm thick, IS 3601:2014
21.	Curtain Handel	21 mm OD, 1 mm thick, IS 3601:2014
22.	Flap curtain	21 mm OD, 1 mm thick, IS 3601:2014
23.	GI clamp	76 mm, 60 mm, 48 mm, 42 mm
24.	Fasteners	3/8", 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm
25.	Angle Bracket	ISA 40 x 40 x 3
26.	T & L - Fixtures	33 mm OD & 2.0 mm thick
27.	Curtain Clamp	45 mm width & 2.0 mm thick
28.	GI profile	30 mm x 1mm, (150 to 160 gr per running mtr)
29.	Self Trapping Screw	20 mm length
30.	GI wire	2 mm dia
31.	Trusses	Bottom & Top Cord 42mm OD, 2mm Thick
32.	Purlin members & others	25mm, 2mm thick
33.	Foundations	Insert GI pipes of a minimum 48mm OD or more to have a foundation depth of 48cm or more depending upon soil type and prevailing wind condition, grouted with cement concrete mixture of 1:3:6 using telescopic insertion of the column.
34.	Fasteners	All nuts & bolts must be of high tensile strength and galvanized.
35.	Entrance room & door	One entrance room of size 3m x 3m x 3m (L x W x H) need to be provided and covered with 200-micron UV-stabilized transparent plastic film. Two hinge doors of size 2m width & 25 m height double leaf made in plastic/FRP sheets mounted in a suitable strong frame.
	Cladding	UV stabilized 120 GMS, 200-micron transparent plastic films conforming to

36.	Material	Indian Standards OS 15827: 2009), multi-layered, anti-drip, anti sulphur, diffused, clear, and have a minimum 85% level of light transmittance.
37.	Fixing of cladding materials	All ends/joints of plastic film need to be fixed with two-way GI profiles with suitable locking arrangements along with a curtain top.
38.	Spring Insert	Zigzag high carbon steel with spring action wire of 2-3 mm diameter must be inserted to fix the shade net into GI Profile.
39.	Curtains and insect screen	Roll up UV stabilized 200-micron transparent plastic film as curtains need be provided should be equal to height on all sides having automatic type motor operated crank mechanism. However, the provision for manual opening and closing of curtains needs also to be provided. 40 mesh nylon insect-proof nets (UV stabilized) of equivalent size need to be fixed inside the curtains. Anti-flapping strips are suggested to ensure the smooth functioning of the curtain (curtain open 2.5 to 3.00 meter for better ventilation and increased air circulation for temperature control).
40.	Shade net	Stabilized 50% shading net (UV stabilized) with motor/manually operated mechanism for expanding and retracting. The size of the net should be equal to the floor area of the greenhouse.
41.	Drip Irrigation System with fogging & misting	The drip irrigation system under the greenhouse needs to be selected based on crop spacing (design on spacing 45cm x 45cm) along with fogging and misting facilities. The spacing considered for the calculation The suggested bill of materials are Sand Filter 5m 3/hrl Screen Filter 10m 3/hr, Control Valve 63mm, Control Valve 50mm, Bypass Assembly — 1.5", Air Release Value 1", Non-Return Valve 1.5", Throttle Valve 1.5", Flush Valve 50mm, Venturi 1.5" Assembly with manifold, PVC pipe 63mm/6kg/cm2, PVC pipe 50mm/6kg/cm2, PE plane lateral 16 mm, Emitting pipe lateral 16mm - @ 0.45m spacing, hanging type micro sprinkler nozzle (four-way take-off assembly) for very fine water particles (foggers & mister) to be fixed in PE pipe of diameter 16mm, Water tank of capacity 2000 le. and fittings & accessories.
42.	Apron	Bottom Apron (Both sides across the length): UV stabilized skirting film 160 GSM/140 GSM, the apron plastic must be buried in the ground at least 60 cm from ground level. The apron plastic must come with 3 year warranty. The apron plastic must be laminated on both sided and a height of 0.5/0.6m above ground and 30 cm buried below ground

पॉलीहाउस निर्माता फर्म के दायित्व

- फर्म द्वारा योजना के लाभार्थियों को यथा आवश्यकता बैंक ऋण की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र भरने, बैंक स्तर पर स्वीकृति के प्रयास करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- चिन्हित फर्म द्वारा लाभार्थी की संतुष्टि हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार ही उत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का ही इस्तेमाल किया जायेगा।
- लाभार्थी द्वारा गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने/आवश्यकता के दृष्टिगत फर्म द्वारा आपूर्तित सामग्री की टेस्टिंग अधिकृत संस्था के माध्यम से करायी जा सकती है। नमूनो के असफल होने की दशा में टेस्टिंग पर होने वाला समस्त व्यय आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। किसानों की शिकायत की पुष्टि की स्थिति में फर्म को नये सिरे से उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री की आपूर्ति करते हुए पॉलीहाउस का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु आने वाले किसी भी व्यय/नुकसान का वहन संबंधित फर्म द्वारा किया जायेगा।
- फर्म/संस्था द्वारा लाभार्थी को पॉलीहाउस के सफल संचालन हेतु तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा साथ ही चयनित फसलों के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज से भिज्ञ

कराया जाएगा।

- पंजीकृत फर्म/संस्था को जनपद स्तर पर अपने कार्यालय अथवा सर्विस सेन्टर्स स्थापित करने होंगे और क्षेत्रवार तकनीकी कार्मिकों की सूचना, नाम, पता एवं दूरभाष सहित लाभार्थी एवं जनपदीय/मण्डलीय उद्यान अधिकारियों को देनी होगी। फर्म के तकनीकी कर्मियों द्वारा पॉलीहाउस की तकनीकी डिज़ाइन के अलावा समय–समय पर रख रखाव तथा फसल उत्पादन सम्बन्धी जानकारियां लाभार्थियों को प्रदान की जायेगी।

- तकनीकी कारणों से गुणवत्तायुक्त आपूर्ति न होने अथवा पॉलीहाउस के किसी भी घटक में मानकानुसार दोष पाये जाने की दशा में फर्म द्वारा एक वर्ष तक मरम्मत/नये सिरे से पॉलीहाउस का निर्माण किया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण व्यय संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।

पौध रोपण सामग्री की व्यवस्था

- कृषक पौधरोपण सामग्री की व्यवस्था अपने स्तर से करने हेतु स्वतंत्र होंगे, जिसका मानकानुसार रु0 300.00 प्रति वर्ग मीटर का 80 प्रतिशत राज सहायता विभाग द्वारा केवल प्रथम वर्ष में ही डी0बी0टी0 के माध्यम से देय होगा।

क्लस्टर आधारित पॉलीहाउस का संचालन रख–रखाव एवं उत्पादों का विपणन

- पॉलीहाउस में खेती के दौरान संचालन व रख–रखाव में आने वाला व्यय संबंधित समूहों/कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

- परियोजना के सफल संचालन अनुश्रवण एवं विपणन हेतु जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में DPMU एवं राज्य स्तर पर सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में SPMU का गठन किया जायेगा।

- योजना अन्तर्गत सभी हितधारक समूहों/व्यक्तिगत कृषकों को सम्मिलित करते हुए राज्य स्तर पर एक **Farmer Producer Organization** का गठन किया जायेगा, जो क्लस्टर में उत्पादित फसलों का विपणन उत्तराखण्ड औद्यानिक परिषद, ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत **REAP** परियोजना, **PACS** के सहयोग से स्थानीय बाजारों/निकटवर्ती बाजार/ दिल्ली मण्डी/ चंडीगढ़ मंडी/ **Corporates Retail Stores, Hotel and resorts** आदि को करेंगे।

मानव संसाधन विकास/प्रशिक्षण

विभाग द्वारा योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पात्र कृषकों/किसान उत्पादक समूहों आदि को पॉलीहाउस के अन्तर्गत मौसम अनुसार पुष्प/सब्जियों के उत्पादन की नवीन वैज्ञानिक तकनीकों, भण्डारण, विपणन आदि के सम्बन्ध में निःशुल्क प्रशिक्षण विषय विशेषज्ञों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, राज्य के अन्तर्गत स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों से सहयोग प्राप्त कर किया जायेगा। विभिन्न विभागीय योजनाओं से जनपद/प्रदेश के बाहर भी Centre of Excellenceआदि में कृषकों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।

<u>प्रशिक्षण / Exposure Visit</u>

- प्रशिक्षण / Exposure Visit केन्द्रपोषित योजनाओं (बागवानी मिशन, परम्परागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना), जिला योजना, आत्मा योजना, बाह्य सहायतित योजना (JICA) के प्रशिक्षण / Exposure Visit मद अन्तर्गत प्रदान किये जायेगें।

- मास्टर प्रशिक्षकः– विभाग द्वारा कलस्टर स्तर पर मास्टर प्रशिक्षक (विभागीय कार्मिक / कृषक) तैयार किये जायेंगे, जो समय–समय पर तकनीकी सहयोग प्रदान करेगें। मास्टर प्रशिक्षकों को राज्य एवं राज्य के बाहर प्रशिक्षण एवं भ्रमण के माध्यम से प्रशिक्षित किया जायेगा। क्लस्टर लेबल ट्रेनर द्वारा ग्राम स्तर पर सम्बन्धित क्लस्टरों के कृषकों को पॉलीहाउस में सब्जी एवं पुष्प उत्पादन प्रौद्योगिकी, पौध उत्पादन, विपणन आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

<u>योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की रूपरेखा</u> (संलग्न प्रारूप–3)

- संबंधित उद्यान सचल दल केन्द्र के प्रभारी द्वारा पॉलीहाउस स्थापना का शतप्रतिशत सत्यापन किया जायेगा।

- संबंधित मुख्य / जिला उद्यान अधिकारी द्वारा कुल स्थापित पॉलीहाउसों का 20 प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा।

- मण्डलीय संयुक्त निदेशक स्तर से कुल स्थापित पॉलीहाउसों के 5 प्रतिशत का सत्यापन किया जायेगा।

- निदेशालय स्तर से कुल स्थापित पॉलीहाउसों के 2 प्रतिशत का सत्यापन किया जायेगा।

- मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से योजना का समय–समय पर औचक निरीक्षण किया जायेगा।

2– उक्त योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्रख्यापित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018 तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त शासनादेश / योजना वित्त विभाग के अर्द्ध0शा0पत्र संख्या–1 / 121940 / 2023 दिनांक 15.05.2023 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा हैं।

<u>संलग्न–प्रारूप–1,2,3</u>

भवदीय,

Signed by Basava Venkata Rana Chandra Purushottam
Date: 15-05-2023 17:02:32
(डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम)
सचिव

<u>प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
2–सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3–वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4–प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5–वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6–आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
7–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9–समस्त मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार।
10–निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11–अनुभाग अधिकारी, कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–04, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Mahima
Date: 15-05-2023 17:19:12

(महिमा)
संयुक्त सचिव

I/122065/2023

प्रारूप–1

क्लस्टर आधारित पॉलीहाउस स्थापना की संतोषजनक रिपोर्ट

लाभार्थी / कृषक का नाम ..... ग्राम..... विकासखण्ड .....
.....तहसील.....जिला.....प्रदेश.....
.....स्थापित पॉलीहाउस .....
..... फसल.....क्षेत्रफल.....हे0

प्रमाणित किया जाता है कि मे0.....(कार्यदायी संस्था का नाम) के द्वारा मेरे उपरोक्त साइट पर पॉलीहाउस सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम सहित स्थापित कर दिया गया है। स्थापित किये गए पॉलीहाउस की कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, कार्य होते समय एवं कार्य समाप्ति के उपरांत फोटो एवं Geo-Tagging संलग्न है। सभी प्रकार से कार्य पूर्ण हो गया है तथा मुझको चलाकर ट्रायल दे दिया गया है। पॉलीहाउस सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम सहित सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। कार्यदायी फर्म द्वारा पॉलीहाउस सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम सहित चलाने तथा अनुरक्षण का पूर्ण प्रशिक्षण दे दिया गया है मुझे फर्म के कार्यों से कोई शिकायत नहीं है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

लाभार्थी / कृषक के हस्ताक्षर

I/122065/2023

प्रारूप–2

शपथ पत्र

(रू0 100 के स्टाम्प पेपर एवं नोटरी सहित)

मैं.....उम्र ..... पुत्र श्री .....
.....निवासी ग्राम .....पो0 ऑ0..... विकासखण्ड .....
.....तहसील.....जनपद..... पिन कोड.....शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि:–

1. कि शपथी उपरोक्त पते व स्थान का स्थायी निवासी है।
2. कि शपथी NABARD की क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस योजनान्तर्गत 80 प्रतिशत राजसहायता पर ..... वर्ग मी0 आकार का पॉलीहाउस का निर्माण करना चाहता है।
3. 20 प्रतिशत कृषक अंश की धनराशि, शपथी चयनित होने के उपरान्त डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से विभाग को जमा करा देगा।
4. कि शपथी द्वारा जो पॉलीहाउस लगवाया जायेगा उसका उपयोग औद्यानिक कार्यों हेतु करेगा। किसी अन्य कार्य हेतु पॉलीहाउस का उपयोग नहीं किया जायेगा।
5. शपथी द्वारा समूह में दिए गये सब्जियों/पुष्पों में से उचित एक विकल्प का चयन कर उस फसल का उत्पादन करूंगा।
6. कि शपथ द्वारा पॉलीहाउस हेतु किसी अन्य विभाग से राजसहायता प्राप्त नहीं की गयी है और न ही किसी बैंक से ऋण लिया गया है।
7. कि विभाग को यह अधिकार होगा कि पॉलीहाउस अथवा राजसहायता का दुरूपयोग करने पर मय चालू बैंक ब्याज सहित प्रदान की गयी राजसहायता की वसूली कर सकता है।
8. कि शपथी के निजी स्वामित्व में..... है0 भूमि दर्ज है।

शपथी का नाम .....

हस्ताक्षर

मैं शपथी उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा नं0 (1) लागत (8) तक अपने निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही व सत्य होना घोषित करता हूँ।

दिनांक .....

शपथी के हस्ताक्षर

AHW3-MISC/1/18/2023-XIII-3-Agriculture and Farmers Welfare Department

I/122065/2023

प्रारूप–3

क्लस्टर आधारित पॉलीहाउस स्थापना हेतु साइट निरीक्षण रिपोर्ट

निरीक्षण की तिथि : .....

साइट का पूर्ण विवरण : .....
.....

निरीक्षण कर्ता का नाम: .....
एवं पदनाम

निरीक्षण साइट का: .....
विवरण

कार्यदायी फर्म का नाम: .....
व पता
.....

पॉलीहाउस की सामग्री: .....
मे0

आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम : .....

पॉलीहाउस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक

श्री / श्रीमती.....

ग्राम.....पोस्ट.....तहसील.....

जिला..... को उनकी साइट पर स्थापित पॉलीहाउस का निरीक्षण किया गया तथा दिये गए मानक के अनसुार पाया गया है। स्थापित किये गए पॉलीहाउस की कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, कार्य होते समय एवं कार्य समाप्ति के उपरांत फोटो एवं Geo-Tagging संलग्न है।

फर्म के अधिकृत सेवा अभियन्ता के हस्ताक्षर

नाम– .....

पदनाम–.....

तिथि–.....

(सील)

कृषक का नाम–.....

हस्ताक्षर–.....

तिथि– .....

प्रभारी / सहायक / उद्यान निरीक्षक के हस्ताक्षर

नाम–.....

पद नाम–.....